न्यायालय समाहर्त्ता –सह– जिला दण्डाधिकारी, बक्सर

(विधि शाखा)

बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत राज्यसात किये गये वाहनों की सार्वजनिक नीलामी सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बक्सर जिलान्तर्गत विभिन्न थाना काण्डों में निम्न वाहनों का बिहार मद्य–निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, **2016** एवं (संशोधित) अधिनियम, **2018** के सुसंगत प्रावधानों के तहत विभिन्न अधिहरण वादों में समाहर्त्ता –सह– जिला दण्डाधिकारी, बक्सर के न्यायालय द्वारा राज्यसात **(Confiscate)** वाहनों की सार्वजनिक नीलामी दिनांक **22.01.2021** को **11:00** बजे पूर्वाह्न में **समाहरणालय स्थित सभाकक्ष** में की जायेगी। निर्धारित तिथि को नीलामी की प्रक्रिया पुरा नही होने पर नीलामी की अगली अनवरती तिथि दिनांक **23-01-2021** एवं **25-01-2021** को सम्पन्न होगी। नीलाम होने वाले वाहनों की विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार से है :–

क्र0	थाना काण्ड सं0	वाद सं0	वाहन का प्रकार	निबंधन सं0	वाहन का निर्धारित न्यूनतम मूल्य	अग्रधन की राशि (10%)
1	उत्पाद 24(O)/2019	60/2019	एम्बेसडर कार	UP-60J-4157	35000	3500
2	उत्पाद 241(O)/2017	194/2017	पैशन प्रो0 मोटर साईकिल	UP-60L-0967	18000	1800
3	बक्सर (औ0) 230/18	56/2019	TVS Jupiter स्कूटी	BR-44F-4571	16000	1600
4	इटाढ़ी 304/2018	59/2019	सुपर स्पलेण्डर मोटर साईकिल	BR-44C-7513	19000	1900
5	इटाढ़ी 204/2018	13/2019	प्लसर मोटर साईकिल	Eng-DHGBKB19777	19000	1900
6	बक्सर नगर 599/2018	09/2019	टेम्पु	BR-44P-4264	30000	3000
7	नावानगर 153/2018	12/2019	आईसर मिनी ट्रक	UP-13T-3598	122000	12200
8	सिमरी (हाता) 241/2018	10/2019	प्लेटिना मो0 साईकिल	BR-44A-6749	9000	9000
9	बक्सर (मु0) 141/2018	99/2018	बलेनो सुजुकि कार	BR-16M-8668	190000	19000
10	बक्सर (मु0) 111/2018	100/2018	होण्डा साईन मो0 साईकिल	UP-60S-1984	18000	1800
11	कोरानसराय 101/2018	94/2019	मैजिक पिकअप	UP-60T-1725	160000	16000
12	इटाढ़ी 89/2018	77/2018	पैशन प्रो0 मो0साईकिल	BR-24M-6907	21000	2100
13	बक्सर नगर 516/2017	98/2018	सी0डी0 100 मो0 साईकिल	UP-61B-7588	14000	1400
14	बक्सर (मु0) 110/2017	128/2017	टेम्पु	BR-44P-4228	48000	4800
15	चक्की 489/2018	19/2019	स्कूटी	BR-03Y-7636	24000	2400

16	सिमरी (डेरा) 71/2019	66/2019	अपाची मोटर साईकिल	BR-03Q-4256	23000	2300
17	नावानगर 208/2019	152/2019	स्कार्पियो	JH-05S-2556	190000	19000
18	उत्पाद 193(O)/2017	115/2017	TVS मोटर साईकिल	BR-44F-2457	19000	1900
19	सिमरी (डेरा) 183/18	02/2019	पैशन प्रो0 मोटर साईकिल	BR-44A-9927	21000	2100
20	चक्की 293/2018	11/2019	पैशन प्रो0 मो साईकिल	UP-60P-5490	24000	2400
21	चक्की 495/2018	20/2019	TVS मोटर साईकिल	BR-44C-6114	11000	1100
22	सिकरौल 17/2019	58/2019	आल्टो कार	WB-02M-5645	105000	10500
23	डुमरॉव 151/2019	91/2019	स्पलेण्डर मोटर साईकिल	BR-44D-6057	23000	2300
24	सोनवर्षा 198/2018	209/2019	टाटा 407 पिकअप	BR-44G-6279	110000	11000

निलामी की शर्ते :--

1- नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। नीलामी के दौरान, नीलामी स्थल पर हैण्ड वॉश एवं हैण्ड सेनेटाईजर की व्यवस्था नीलामी समिति को करनी होगी।

2- नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को तालिका में वर्णित वाहनों के सामने अंकित अग्रधन की राशि दिनांक **19.01.2021** तक उत्पाद अधीक्षक, बक्सर के कार्यालय में बैंक ड्राफ्ट जमा के रूप में जमा करना होगा। जो आवेदक के नामित एवं राष्ट्रीय कृत बैंक द्वारा निर्गत होना चाहिए तथा अधीक्षक उत्पाद, मद्यनिषेध बक्सर के नाम से एवं **Payable at SBI Main Branch, Buxar** के नाम से देय होगा।

3- उपरोक्त वाहन **"जहाँ है, जिस स्थिति में है"** के आधार पर नीलामी की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में संबंधित थाना में जाकर स्वयं उक्त वाहनों का निरीक्षण कर सकते हैं।

4- नीलामी में सफल व्यक्ति के अग्रधन राशि नीलामी की तय राशि में समायोजित कर ली जायेगी तथा असफल व्यक्तियों को जमा अग्रधन की राशि वापस कर दी जायेगी।

5- इस नीलामी में आने वाले उच्चतम मूल्य का भुगतान कर गाड़ी प्राप्त करने का एक मौका वैधिक वाहन स्वामी को दिया जायेगा।

6- नीलामी में सफल व्यक्तियों को नीलामी की राशि, दिनांक **29.01.2021** तक उत्पाद अधीक्षक के कार्यालय, बक्सर में निश्चित रूप से जमा करनी होगी अन्यथा अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी एवं नीलामी रद्द कर दी जायेगी। इसके बाद द्वितीय नीलाम क्रेता के साथ वाहन की नीलामी कर दी जायेगी। द्वितीय नीलाम क्रेता को सूचना प्राप्ति के **03** दिनों के अन्दर नीलामी की सम्पूर्ण राशि जमा करना होगा, अन्यथा उनकी भी जमानत जप्त कर ली जायेगी।

7- नीलामी समिति सफल क्रेता के नाम से वाहन का निबंधन कराने के निमित मात्र नीलामी कर दिये जाने का पत्र निर्गत करेगी। वाहन संबंधी कागजात बनाने की जिम्मेदारी नीलामी प्राप्त करने वाले क्रेता की होगी। वाहन का पूर्व से निबंधित कागजात देने के लिए समिति बाध्य नहीं होगी।

8- नीलामी में सफल क्रेता को नियमानुकुल सभी करों का भुगतान करना होगा।

9- अधिकतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को ही वाहन दिया जा सकता है। नीलामी समिति का निर्णय अंतिम होगा। इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

10- किसी भी वाहन या सभी वाहनों की नीलामी बिना कारण बताये रद्द करने की शक्ति नीलामी समिति के पास सुरक्षित होगी।

11- वाहन / वाहनों की नीलामी का विज्ञप्ति / प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से प्रभावित होगा।

12- नीलामी की निर्धारित तिथि को किसी कारणवस नीलामी नहीं होने की स्थिति में पुनः अगले कार्य दिवस को नीलामी की प्रक्रिया पुरी की जायेगी।

विशेष जानकारी के लिए अधीक्षक उत्पाद, बक्सर –सह– सदस्य सचिव, नीलामी समिति से सम्पर्क किया जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक **XXI-29/2020-06-** 0008 / विधि0, दिनांक 05 / 01 /2021

प्रतिलिपिः– डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, बक्सर एवं आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– उत्पाद अधीक्षक –सह– सचिव, जिला नीलाम समिति, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला परिवहन पदाधिकारी –सह– सदस्य, जिला नीलाम समिति, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त –सह– अध्यक्ष, जिला नीलाम समिति, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।